मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 (चैत्र 1, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2009-2010 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर का छठवां तथा सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 ; तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 408-म.प्र. विनिआ /2010, दिनांक 15 फरवरी, 2010 ;तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 438-म.प्र. विनिआ /2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती जमुनादेवी, सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश में अध्ययनरत छात्राओं को गणवेश के स्थान पर नगद राशि का वितरण होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल के ग्राम बांधीखेड़ी स्थित उद्योग की जमीन पर अवैध उत्खनन होने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, दिनांक 17 नवम्बर, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्रमांक 688) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या -3	पुलिस
		मांग संख्या -4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या -14	पशुपालन
		मांग संख्या -16	मछलीपालन
		मांग संख्या -63	अल्पसंख्यक कल्याण
		मांग संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या -37	पर्यटन
		मांग संख्या -43	खेल और युवक कल्याण.
2 घन्टे	(4)	मांग संख्या -12	ऊर्जा
		मांग संख्या -25	खनिज साधन.
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या -39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
1 घन्टा	(6)	मांग संख्या -55	महिला एवं बाल विकास.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) का पुरःस्थापन * करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 2010

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.